राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या–181/रा0नि0आ0अनु0–3/612/2005 देहरादूनः दिनांक 14 मई, 2010

आदेश

विषयः–जिला योजना समिति के सदस्य के निर्वाचन में निर्वाचक की निरक्षरता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

जिला योजना समिति नियमावली–2010 के नियम–18 में यह व्यवस्था है कि यदि मतदाता निरक्षरता अथवा अन्य कारण से स्वयं मत देने में अशक्त हो तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अशक्तता के पुष्ट प्रमाण होने की दशा में सहायक दिया जा सकेगा, किन्तु एक ही व्यक्ति एकाधिक मतदाताओं के लिए सहायक नहीं बन सकेगा। ऐसे निर्वाचक (मतदाता) को सहायक/साथी उपलब्ध कराने की परिस्थिति, दशायें एवं रीति के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा "भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 ट एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अधीन निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:–

1. सहायक की मांग करने वाला निर्वाचक साक्षर है या निरक्षर, इस बात का सत्यापन उसके द्वारा दाखिल शपथ–पत्र (प्रारूप संलग्न) से कर लिया जाये, जिसमें यह स्पष्ट उल्लिखित हो, कि वह निर्वाचक व्यक्ति निरक्षर है और मतपत्र में छपे नामों को पढ़ नहीं सकता तथा उसे गिनती/अंकों का ज्ञान/बोध नहीं है। यह शपथ–पत्र नोटरी से सत्यापित होना अनिवार्य होगा।
2. यदि निर्वाचक अपनी अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक की मांग करे तो उसे जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अन्धता या अन्य अशक्तता से इस स्तर तक ग्रसित है कि वह अपना मतदान करने में अक्षम है उसे अपनी अन्धता या अशक्तता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर समस्त अभिलेखीय साक्ष्य जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपना समाधान होने पर निर्णय लिया जायेगा।
3. यदि किसी निर्वाचक को सहायक/साथी दिया जाये तो उस विषय में सुनिश्चित भी किया जाये कि:–
   क. वह 18 वर्ष से कम आयु का न हो।
   ख. वह इतना साक्षर हो कि मतपत्र को पढ़ सकने तथा उस पर निर्वाचक की इच्छानुसार मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ने और मतपेटी में डालने में सक्षम हो।
   ग. वह अराजनैतिक हो तथा निर्वाचन में प्रत्याशियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिस्तेदार न हो।
   घ. वह निर्विवादित हो और प्रश्नगत निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचक के सहायक/साथी के रूम में कार्य करने हेतु अर्ह न होगा।
4. जिला योजना समिति के सदस्य के पदों के निर्वाचन में सम्बन्धित जिला तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य (निर्वाचक) को अपनी निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण सहायक की मांग करने की दशा में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रश्नगत निर्वाचन में मतदान प्रारम्भ होने के 72 घंटे पूर्व उक्त शपथ–पत्र, प्रमाण–पत्र एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तत्सम्बन्धी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी उसी दिन कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करायेंगे ताकि जनसाधारण को भी इस तथ्य की जानकारी हो सके। यदि इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा सूचना अथवा आपत्ति प्राप्त हो तो उसका भी

क्रमशः.....2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी वाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

परीक्षण करके निस्तारण करा लिया जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों का परीक्षण कर अपना मत अभिलिखित करते हुए निर्वाचक को सहायक/साथी अनुमन्य करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

5. यदि सहायक की मांग मतदान प्रारम्भ होने के 72 घंटे के पूर्व प्राप्त नहीं होती है तो किसी भी निर्वाचक को सहायक/साथी स्वीकृत नहीं किया जायेगा। केवल आपातकालीन परिस्थिति जैसे अचानक दुर्घटना की स्थिति में अशक्तता के कारण निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुरूप सहायक की मांग हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों के दृष्टिगत निर्णय लेकर ही सहायक/साथी को अनुमन्य कराया जा सकेगा तथा इसकी सूचना आयोग को प्रेषित की जायेगी। निर्वाचक के सहायक को इस आशय का घोषण पत्र भी देना होगा कि वह इस निर्वाचन में केवल एक निर्वाचक के सहायक/साथी का कार्य कर रहा है, और किसी अन्य निर्वाचक के सहायक/साथी का कार्य उस दिन न तो किया है और न उस दिन करेगा।

6. यदि निर्वाचक द्वारा सहायक/साथी की मांग हेतु प्रस्तुत शपथ–पत्र/प्रमाण–पत्र, अभिलेखीय साक्ष्य परीक्षण के समय असत्य, कपटपूर्ण एवं तथ्यों को छिपाना प्रथम दृष्टया साबित हो तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधिक कृत्यों के लिये थानों में प्राथमिकी (एफ0आई0आर0) भी दर्ज करायी जा सकती है।

7. इन निर्देशों के अधीन ही उपरोक्त निर्वाचकों को सहायक/साथी उपलब्ध कराया जायेगा।

<u>संलग्नकः–प्रारूप।</u>

(एच0बी0थपलियाल)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या– /रा0नि0आ0अनु0–3/612/2005 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सचिव(जि0यो0स0)/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, दूरदर्शन/ आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून/नजीबाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों से प्रसारित करा दें।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा न्यूज चैनल्स को निःशुल्क प्रसारण हेतु भेज दें।
11. निजी सचिव, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड।

(एच0बी0थपलियाल)
संयुक्त सचिव।

नोटरी के समक्ष शपथ पत्र

परिशिष्ट–1

मैं श्री/सुश्री/कु0/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री/सुश्री..... ..... जिला पंचायत/नगर निकाय के वार्ड संख्या..... .....(वार्ड का नाम सहित) का/की निर्वाचित सदस्य हूँ। मैं जिला योजना समिति के.....के सदस्य के निर्वाचन का/की मतदाता हूँ।

मैं सशपथ बयान करता/करती हूँ कि:–

1. मैं निरक्षर हूँ तथा मैं पढ़ा लिखा/पढ़ी लिखी नहीं हूँ/मैं दृष्टिबाधित हूँ। मैं मतपत्र पर छपे नामों को नहीं पढ़ सकता/सकती हूँ।
2. मैं बिना सहायक की सहायता के अपना मतदान करने में असमर्थ हूँ। मैंने पूर्व के ऐसे किसी मतदान में बिना सहायक के मतदान नहीं किया है।

सत्यापन

मैं.....उपरोक्त सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में दिये गये तथ्य मेरी निजि जानकारी और विश्वास से सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति–

मैं शपथ कर्ता/कर्ती के उपरोक्त कथन से संतुष्ट हूँ और उसे साथी/सहायक की सुविधा दिये जाने की संस्तुति करता हूँ।

जनपद.....

जिला निर्वाचन अधिकारी
नाम.....
मोहर.....

सहायक/साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

परिशिष्ट–2

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं श्री/सुश्री/कु0/श्रीमती.....
.....पुत्र/पत्नी/पुत्री/सुश्री.....
.....जो ग्राम .....भाग सं0.....क्रमांक.....पर मतदाता के रूप में दर्ज है और अंधेपन/अशक्तता के कारण अपना मत अभिलिखित करने/मतपत्र मोड़ने/मतपेटी में डालने में असमर्थ है, के साथी के रूप में श्री/सुश्री/कु0/श्रीमती.....
.....की इच्छानुसार ही मत अभिलिखित कर /मतपत्र मोड़कर मतपेटी में डालूँगा/डालूँगी। मैं अभिलिखित मत की गोपनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी।

मैं यह भी घोषण करता/करती हूं कि मैंने सिवाय श्री/सुश्री/कु0/श्रीमती.....
.....के अन्य किसी के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है और न ही आज के मतदान में किसी अन्य साथी के रूप में कार्य करूँगा/करूँगी।

साथी के हस्ताक्षर
पूरा नाम व पता
.....
आयु.....